an>

Title: Demand for Karnataka Administrative Tribunal in Belgaum District in Karnataka.

श्री प्रकाश ब. हुक्केरी (चिक्कोडी) : माननीय अध्यक्षा जी, अभी कर्नाटक के बेलगाम जिले में दो हफ्ते से लगभग 6000 एडवोकेट्स स्ट्राइक कर रहे हैं। उनकी मांग हैं कि बेलगाम में कर्नाटक ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होना चाहिए। उनके द्वारा वहां दो हफ्ते से एडीशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट के सभी कोर्ट्स बंद किए गए हैं, इसलिए लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। लगभग 28000 केसेज पेंडिंग हैं। कर्नाटक में एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बेंगलुरू में है तो 28000 केसेज का फैसला कैसे होगा? इसके लिए मैं लॉ मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि एक और ट्रिब्यूनल, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेलगाम में मंजूर होना चाहिए। अगर लॉ मिनिस्टर हाउस में होते तो अच्छा होता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सोमवार को इस पर रिप्लाई दिया जाए, क्योंकि वे लोग सोमवार से आमरण उपवास करने वाले हैं। अगर 6000 लोग आमरण उपवास पर बैठेंगे तो वहां लॉ-प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लॉ मिनिस्टर को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गोपाल शेट्टी जी, यह इश्यू कल सदन में उठाया गया था, फिर भी आप इस इश्यू पर बोलिए।